



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06052022-235594
CG-DL-E-06052022-235594

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1984]
No. 1984]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 5, 2022/वैशाख 15, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 5, 2022/VAISAKHA 15, 1944

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2022

का.आ. 2085(अ).—केंद्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा -3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में उल्लिखित अधिकारी को, जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी के अधिकारी हैं, एक संविधानिक प्राधिकारी या भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी के समतुल्य अधिकारी की पंक्ति के हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट लोक परिषदों की बाबत अपनी अधिकारिता को स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन संपदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे, अर्थात:-

सारणी

अधिकारी का पदनाम	सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और स्थानीय अधिकारिता की सीमाएं
(1)	(2)
ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी के नियंत्रणाधीन पुडुचेरी, कराईकल, यनम और देश में अन्यत्र स्थित सभी परिसर।

[फा. सं. जेड-16013/32/2021-आईएनआई-II]

नीलाम्बुज शरण, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**NOTIFICATION**

New Delhi, 28th March, 2022

S.O. 2085(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act 1971(40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the Table below, being officer of the Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research, Puducherry, a statutory authority or being equivalent to the rank of a Gazetted officer of Government, to be estate officer for the purpose of the said Act, and defines the local limits of public premises as specified in column (2) of the said Table, in respect of which, the said estate officer shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed, on estate officers by or under the said Act.

TABLE

Designation of officer.	Categories of public premises and local limits of jurisdiction.
(1)	(2)
Senior Administrative Officer.	All the premises which are under the control of Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research, Puducherry whether situated in Puducherry, Karaikal, Yanam and elsewhere in the country.

[F. No. Z-16013/32/2021-INI-II]

NILAMBUJ SHARAN, Economic Advisor